<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>1.12.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27/11/2025 को गोवा के प्रमुख स्थानों जैसे अंजुना, असगांव, उकासिम आदि में **5 लाख वर्ग मीटर** से अधिक क्षेत्रफल वाली 19 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका मूल्य लगभग **1,268.63 करोड़ रुपये** है। ये संपत्तियां शिवशंकर मायेकर के नेतृत्व वाले समूह द्वारा जाली भूमि स्वामित्व दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध रूप से अर्जित की गई थीं, जिनमें एफोरमेंटो/आवंटन प्रमाण पत्र, अंतिम कब्जे के प्रमाण पत्र, ऑटो डी डेमार्कासाओ (सीमांकन प्रमाण पत्र), बिक्री के ऐतिहासिक विलेख(डीड), उपहार विलेख(गिफ्ट डीड) और अन्य जाली दस्तावेज शामिल हैं।

इससे पहले, 09.09.2025 और 10.10.2025 को किए गए तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने **12.85 करोड़ रुपये** की राशि के बैंक खातों और अन्य मूल्यवान संपत्तियों को जब्त और फ्रीज कर दिया था।

ईडी ने गोवा पुलिस द्वारा यशवंत सावंत और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अंजुना के सर्वेक्षण संख्या 496/1-ए, अंजुना में स्थित भूमि के संबंध में अंजुना के समुदाय(कम्युनिडेड) के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। आरोपियों ने कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष फर्जी और जाली दस्तावेज जमा करके अपने नाम पर भूमि का धोखाधड़ीपूर्ण म्यूटेशन प्राप्त किया और उसके बाद उक्त भूमि के कुछ हिस्सों को तीसरे पक्ष को बेच दिया, जिससे अपराध की अतिरिक्त आय (पीओसी) अर्जित हुई।

ईडी की जाँच से पता चला कि शिवशंकर मायेकर एक प्रमुख साज़िशकर्ता था, जिसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर गोवा में कई ज़मीनें अवैध रूप से हासिल की थीं। उसे ईडी ने 01.10.2025 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा, यह भी पता चला कि अंजुना और असगांव इलाकों में ज़मीन के अवैध अधिग्रहण के संबंध में आरोपियों के खिलाफ चार अतिरिक्त प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जाँच में कई और ज़मीनों की पहचान हुई है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें इसी तरह के धोखाधड़ी वाले तरीकों से हासिल किया गया है। पीएमएलए के तहत सूचना साझा करने की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से इन संपत्तियों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ साझा की जा रही है।

जांच से शिवशंकर मायेकर के नेतृत्व वाले समूह द्वारा अपनाई गई व्यवस्थित कार्यप्रणाली सामने आई है, जिसमें शामिल है - असुरक्षित भू-खण्डों की पहचान करना, फर्जी बिक्री विलेख, जाली उपहार विलेख और कम्युनिडाड और कम्युनिडाड के प्रशासक द्वारा कथित रूप से जारी किए गए जाली प्रमाण पत्र जैसे शीर्षक दस्तावेजों को तैयार करना, और इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके चुने हुए फ्रंटमेन के नाम पर धोखाधड़ी से संपत्तियों को बदलवाना, जो बाद में पीओसी बनाने के लिए आगे उनका निपटान कर देते थे।

आगे की जाँच जारी है।